प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 55/2023)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा पर भा.दू.वि.प्रा. के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/ प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तारण

नई दिल्ली, 20 जून 2023 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 2 मई 2023 को **'अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा'** पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। पहले, हितधारकों से परामर्श पत्र पर उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 मई 2023 और प्रति टिप्पणियों के लिए अंतिम तिथि 13 जून 2023 निर्धारित की गयी थी। परंतु हितधारकों और उद्योग संघ के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि क्रमश: 20 जून 2023 और 04 जुलाई 2023 तक बढ़ाई गई थी।

2. हितधारकों के टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को और आगे बढ़ाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 11 जुलाई 2023 और 25 जुलाई 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद, समय सीमा को आगे बढ़ाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भा.दू.वि.प्रा. को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भा.दू.वि.प्रा. से दूरभाष संख्या : +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा